


फा.सं. 14-1/2012-विविध (एनसीएसएल) (खंड III)  
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान  
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)  
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

मार्च 10, 2023

अधिसूचना

दिनांक 10.02.2023 के कार्यालय आदेश संख्या 441/2023-नीपा के संदर्भ में, सभी कार्मिकों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रोफेसर ए.के. सिंह, अध्यक्ष, शैक्षिक नीति विभाग ने 01.03.2023 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र (एनसीएसएल) के प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह अपने विभागीय उत्तरदायित्वों के साथ-साथ प्रमुख, एनसीएसएल के कार्यों को भी संभालेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(डॉ. संदीप चटर्जी)  
कुलसचिव

सेवा में

प्रोफेसर ए. के. सिंह  
विभागाध्यक्ष, शैक्षिक नीति विभाग  
नीपा, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:

- सभी संकाय सदस्य (ई-मेल के माध्यम से) – सूचनार्थ
- कुलपति के निजी सचिव - माननीय कुलपति को सूचनार्थ
- कुलसचिव के निजी सहायक- रिकार्ड हेतु
- विभागाध्यक्ष, परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू)
- वित्त अधिकारी, नीपा
- अवर सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
- प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी) नीपा
- सिस्टम एनालिस्ट - इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
- अनुभाग की गार्ड फाइल
- मास्टर फाइल